राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5828/2022

संजू **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, थानागाजी, जिला अलवर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, Mundawara, थानागाजी, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.11.2022
आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर कार्यरत है, जिसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन आर.सी.एच.ओ., जोधपुर रिवेपिंग स्कीम किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को 450 कि.मी. दूर पदस्थापित किया गया है। इससे पूर्व अपीलार्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डावरा थानागाजी, जिला अलवर में पदस्थापित थी और आदेश दिनांक 13.08.2022 के द्वारा प्रियंका चौधरी को

अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया और आदेश दिनांक 22.08.2022 के द्वारा उसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए सी.एम.एच.ओ., अलवर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया और आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन प्रतीक्षा में अंकित करते हुए निदेशालय जयपुर से आर.सी.एच.ओ., जोधपुर पदस्थापित कर दिया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन बिना विवेक का प्रयोग किए हुए किया गया है। उसका स्थानान्तरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के विपरीत किया जाकर किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.एन.एम. के पद पर कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 450 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

जहां तक आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के विपरीत जारी किए जाने का प्रश्न है। आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का निदेशालय में पदस्थापन प्रतीक्षा में (APO) से आर.सी.एच.ओ., जोधपुर में पदस्थापन किया गया है। अपीलार्थी को निदेशालय जयपुर से स्थानान्तरित/पदस्थापित किया गया है। जयपुर शहरी क्षेत्र है एवं निदेशालय से आर.सी.एच.ओ., जोधपुर में पदस्थापन किया गया है, अतः राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के जनहित में जारी किया गया है। अतः नियमानुसार टी.ए./डी.ए. आदि देय होगा। इस प्रकार आलोच्य आदेश में कोई विधिक विसंगति परिलक्षित नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य